"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016—पौष 25, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष कुमार परिहार पिता श्री श्यामलाल परिहार, उम्र 58 वर्ष, निवासी-ग्राम सफेद खदान, दोमुहानी, थाना तोरवा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम संतोष कुमार पिता शामलाल दर्ज है तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम संतोष कुमार परिहार पिता श्यामलाल परिहार दर्ज है. मेरे द्वारा न्यायालय दशम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 बिलासपुर के न्यायालय में एक व्यवहार वाद क्र. 268 अ/15 पक्षकार संतोष कुमार परिहार विरुद्ध छ. ग. शासन पेश किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16-12-2015 में संतोष कुमार परिहार पिता श्यामलाल परिहार दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम संतोष कुमार परिहार रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संतोष कुमार परिहार पिता श्री श्यामलाल परिहार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
संतोष कुमार (Santosh Kumar) पिता श्री शामलाल परिहार (Shri Shamlal Parihar) निवासी-सफेद खदान, दोमुहानी थाना तोरवा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)	संतोष कुमार परिहार (Santosh Kumar Parihar) पिता श्री श्यामलाल परिहार (Shri Shyamlal Parihar) निवासी-सफेद खदान, दोमुहानी थाना तोरवा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मेहबूब निशा रहमान धर्मपत्नि अब्दुल रहमान, उम्र 56 वर्ष, निवासी-मकान नं. 22, मैत्रीनगर, सड़क नं. 3/ए, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड, वोटर आई. डी., बैंक पासबुक आदि में मेरा नाम मेहबूब निशा अंकित है परन्तु मेरे पति अब्दुल रहमान के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश मेहबूब निशा रहमान दर्ज हो गया है वह गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मेहबूब निशा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती मेहबूब निशा धर्मपत्नि अब्दुल रहमान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावें.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती मेहबूब निशा रहमान धर्मपत्नि अब्दुल रहमान निवासी- मकान नं. 22, मैत्रीनगर, सड़क नं. 3/ए, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती मेहबूब निशा धर्मपत्नि अब्दुल रहमान निवासी- मकान नं. 22, मैत्रीनगर, सड़क नं. 3/ए, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनहरन लाल देवांगन आत्मज स्व. श्री बनिया राम देवांगन, निवासी-रामनगर, मुक्तिधाम, वार्ड नं. 13, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के रिकार्ड में मेरा पर्सनल नं. 139534 में मेरा नाम मनहरन लाल दर्ज है. जो कि गलत है मैं अपने नाम के साथ उपनाम ''देवांगन'' को जोड़कर नया नाम मनहरन लाल देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मनहरन लाल देवांगन आत्मज स्व. श्री बनिया राम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मनहरन लाल आत्मज स्व. श्री बनिया राम निवासी- रामनगर, मुक्तिधाम वार्ड नं. 13, सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	मनहरन लाल देवांगन आत्मज स्व. श्री बनिया राम देवांगन निवासी- रामनगर, मुक्तिधाम वार्ड नं. 13, सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल, कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

क्रमांक/1760.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित सर्कल हेमर उप परिक्षेत्र सहसपुर को आबंटित किया गया था जिसे श्री माखन लाल वर्मा उप परिक्षेत्र सहसपुर द्वारा दिनांक 10-09-2015 को चेलीकामा परिसर में गस्त के दौरान कहीं पर अचानक गिर कर खो गया है. परिक्षेत्र अधिकारी स. लोहारा के पत्र क्रमांक/1145 दिनांक 09-12-2015 द्वारा सूचित किया गया है कि सहायक परिक्षेत्र अधिकारी सहसपुर का हेमर कहीं गुम हो गया. उप वनमण्डलाधिकारी स. लोहारा के पत्र क्रमांक/1148 दिनांक 16-12-2015 द्वारा सहायक परिक्षेत्र अधिकारी श्री वर्मा से हेमर गुम हो जाने बाबत् स्पष्टीकरण लिया जाकर चरित्रावली चेतावनी देते हुये हेमर की राशि वसूल कर अपलेखन करने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा है.

अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये उक्त वृत्त हेमर को भण्डार (अभिलेख) से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 250/- रु. (दो सौ पचास) मात्र श्री माखन लाल वर्मा वनपाल के वेतन से अथवा शासकीय चालान द्वारा वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा हेमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावाली चेतावनी की जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त हेमर मिले तो अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी के द्वारा उक्त हेमर का उपयोग करते पाया जावेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 अंतर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

आलोक कुमार तिवारी,
वनमंडलाधिकारी

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती सविता चन्द्राकर W/o श्री मायाराम चन्द्राकर, महिला प्राथमिक स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. हाड़ाबंद पं. क्र. 20 ग्राम हाड़ाबंद पो. मोहंदी वि. ख. बागबाहरा जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा महिला प्राथमिक स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. हाड़ाबंद पं. क्र. 20 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूॅं. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री उसतराम पटेल S/o श्री मनबोध पटेल, मां अम्बे प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. डुमरपाली पं. क्र. 16 ग्राम पो. डुमरपाली वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अतः मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा मां अम्बे प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. डुमरपाली पं. क्र. 16 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती पद्मिनी चन्द्राकर W/o श्री भूषण चन्द्राकर, महिला प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. अरण्ड पं. क्र. 10 ग्राम अरण्ड पो. मोंहदी, वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अतः मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा महिला प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. अरण्ड पं. क्र. 10 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री पोखनलाल चन्द्राकर S/o श्री जर्नादन प्रसाद, स्वालम्बी कृषक स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 02 ग्रा. परसदा पो. बसना वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अतः मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा स्वालम्बी कृषक स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 02 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री अनवर हुसैन S/o श्री अब्दुल गफ्फार, श्री गणेश स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 04 उत्तम सायकल स्टोर्स (श्री हरीसिंह का मकान) वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा श्री गणेश स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 04 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री लोकनाथ पटेल S/o श्री सुखराम पटेल, महामाया स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. तेन्दूवाही पं. क्र. 15 ग्राम तेन्दूवाही पो. रायतुम, वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा महामाया स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. तेन्दूवाही पं. क्र. 15 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती केशरीबाई वैष्णव W/o श्री बलराम दास वैष्णव, प्राथ. महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. गोड़बहाल पं. क्र. 24 ग्रा. गोड़बहाल पो. गड़बेड़ा वि. ख. पिथौरा जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा प्राथ. महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. गोड़बहाल पं. क्र. 24 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमति पार्वती देवी चन्द्राकर W/o श्री सेवन लाल चन्द्राकर, श्री तिरूपति महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. सोरिद पं. क्र. 19 ग्रा. वनसिवनी पो. सोरिद वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा श्री तिरूपति महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. सोरिद पं. क्र. 19 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री द्वारिका दीवान S/o श्री चैतराम दीवान, जय महादेव प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. कनेकेरा पं. क्र. 11 ग्राम कनेकेरा पो. धनसुली वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा जय महादेव प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. कनेकेरा पं. क्र. 11 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती यामिनी दुबे W/o श्री नवीन दुबे, जय खल्लारी महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. लमकेनी पं. क्र. 26 ग्रा. आमगांव पो. लमकेनी वि. ख. बागबाहरा जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा जय खल्लारी महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. लमकेनी पं. क्र. 26 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री छबिलाल पटेल S/o श्री वेणुधर पटेल, मां शारदा स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. नवागांव पं. क्र. 14 ग्रा. नवागांव पो. पटेवा वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा मां शारदा स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. नवागांव पं. क्र. 14 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती पार्वती साहू W/o श्री भुवन लाल साहू, मां कर्मा महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. पटपरपाली पं. क्र. 28 ग्राम पटपरपाली पो. कोमाखान वि. ख. बागबाहरा जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा मां कर्मा महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. पटपरपाली पं. क्र. 28 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री इन्दर कुमार गोड़ S/o स्व. श्री बुधारूराम गोड़, जगन्नाथ प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. ठोंगा पं. क्र. 03 ग्रा. ठोंगा पो. तमोरा वि. ख. बागबाहरा जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा जगन्नाथ प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. ठोंगा पं. क्र. 03 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री विरेन्द्र चन्द्राकर S/o श्री शत्रुहन लाल चन्द्राकर, गायत्री स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. परसदा पं. क्र. 08 ग्राम परसदा पो. बेमचा वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा गायत्री स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. परसदा पं. क्र. 08 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री नीलकुमार अघरिया S/o श्री सुशील कुमार अघरिया, जय भवानी स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. दाबपाली पं. क्र. 31 ग्रा. दाबपाली पो. सुखरीडबरी वि. ख. बागबाहरा जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा जय भवानी स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. दाबपाली पं. क्र. 31 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती कविता चन्द्राकर W/o श्री टीकम चन्द्राकर, प्राथ. महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. उमरदा पं. क्र. 22 ग्रा. पो. उमरदा वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा प्राथ. महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. उमरदा पं. क्र. 22 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री केशवराम साहू S/o श्री रामबगस साहू, आदि शक्ति स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. पीढ़ी पं. क्र. 13 ग्राम पो. पीढ़ी वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा आदि शक्ति स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. पीढ़ी पं. क्र. 13 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती मीना वर्मा W/o श्री रोहित वर्मा, यशी महिला प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 07 वार्ड नं. 20 महासमुंद वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा यशी महिला प्राथ. स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 07 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री मुरारीलाल साहू S/o श्री राजाराम साहू, मां शारदा स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. मोंगरा पं. क्र. 21 ग्रा. मोंगरा (लभराखुर्द) वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा मां शारदा स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. मोंगरा पं. क्र. 21 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती लक्ष्मी जाल W/o श्री धनुर्जय जाल, नव दुर्गा स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 05 वार्ड नं. 17 सुभाष नगर महासमुंद जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा नव दुर्गा स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 05 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री राजेश नायक S/o श्री भवानी नायक, किसान विकास स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 01 गंजपारा महासमुंद जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा किसान विकास स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 01 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्रीमती कामिनी चन्द्राकर W/o श्री चन्द्रपाल चन्द्राकर, श्री वेंकेटश्वर महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. पोटिया पं. क्र. 23 ग्रा. पोटिया पो. खटरी वि. ख. बागबाहरा जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा श्री वेंकेटश्वर महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. पोटिया पं. क्र. 23 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.— श्री कामता दीवान S/o श्री पंचराम दीवान मां दुर्गा स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. खट्टा पं. क्र. 17 ग्राम खट्टा पो. पटेवा वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा मां दुर्गा स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. खट्टा पं. क्र. 17 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री त्रिलोचन सिंग, छ. ग. ईंधन एवं क्रय विक्रय स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 30 रेल्वे स्टेशन रोड महासमुंद वार्ड नं. 09 गुरूद्वारा के पीछे महासमुंद (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा छ. ग. ईंधन एवं क्रय विक्रय स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 30 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री सुमेर निषाद S/o श्री झलमहा निषाद, जय मां सोनइरूपई स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. खट्टी पं. क्र. 27 ग्रा. पो. खट्टी वि. ख. व जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा जय मां सोनइरूपई स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. खट्टी पं. क्र. 27 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक/उपपंम/पंजीयन/2015/1228.—श्री हुकुमचंद शर्मा S/o स्व. श्री रघुनाथ शर्मा, महासमुंद साख स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 32 स्वाध्याय केन्द्र कालेज रोड महासमुंद जिला महासमुन्द (छ. ग.). लेख है कि स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 जारी होने कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत परिवर्तित होकर नियम 1962 के तहत विनियमित बाबत पंजीयक महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3522 दिनांक 17-07-2014 की छायाप्रति प्रेषित कर पृष्ठ 02 की कंडिका 01 (a से h) के बिन्दुओं में कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. परंतु आपके द्वारा उपरोक्त वैधानिक कंडिका 01 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है.

अत: मैं एस. एम. दीवान सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुन्द एतद्द्वारा महासमुंद साख स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. महासमुंद पं. क्र. 32 का अस्तित्व निगम निकाय के रूप में इस आदेश के जारी दिनांक 22-12-2015 से समाप्त करता हूँ. भविष्य में स्वायत्त सहकारी समिति के रूप में उक्त संस्था द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, तो वह अवैधानिक माना जावेगा.

एस. एम. दीवान,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.